न्यायालय,जिला दण्डाधिकारी,अररिया

वाद संख्या–29/2020
अंदर धारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,1981 की धारा–3
सरकार
बनाम
अब्दुल हन्नान, पे0–स्व0 एस0के0ताहा, सा0–फरासुत, वार्ड नं0–03, थाना–अररिया(बैरगाछी), जिला–अररिया

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
05.10.2020		

इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 332/डी0सी0बी0, दिनांक 28.09.2020) के साथ संलग्न अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,अररिया के प्रस्ताव (पत्रांक 2742/उपा0, दिनांक 28.09.2020) के आधार पर अब्दुल हन्नान, पे0–स्व0 एस0के0ताहा, सा0–फरासुत, वार्ड नं0–03, थाना–अररिया(बैरगाछी), जिला–अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा–3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रारम्भ की गई।

पुलिस अधीक्षक,अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 332/डी0सी0बी0, दिनांक 28.09.2020) एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि अब्दुल हन्नान, पे0–स्व0 एस0के0ताहा, सा0–फरासुत, वार्ड नं0–03, थाना–अररिया(बैरगाछी), जिला–अररिया एक असामाजिक तत्व है, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त है। इसने अपने कार्यो से थानाक्षेत्र में लोक शांति व्यवस्था को अस्त–व्यस्त कर दिया है। ऐसी सूचना मिल रही है कि आगामी विधान सभा चुनाव–2020 के अवसर पर ये आम मतदाता को एक पक्ष विशेष को मतदान करने हेतु दबाव बनाकर डरा धमका रहे है, जिसके कारण लोगों में दशहत है। अब्दुल हन्नान एक आदतन अपराधी है और कभी भी लोक व्यवस्था एवं शान्तिपूर्ण मतदान प्रकिया को बाधित कर सकते है।

अब्दुल हन्नान का आपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :–

1. अररिया (बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड संख्या–279/16, दिनांक–18.05.16, धारा–147/148/149/342/323/324/307/332/333/337/338/353/427 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम।
2. अररिया (बैरगाछी ओ0पी0) थाना कांड संख्या–280/16, दिनांक–18.05.16, धारा–147/148/149/342/324/307/332/333/337/338/353/427 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम।

अररिया जिला में बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020 में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने/लोक व्यवस्था/विधि व्यवस्था/सुरक्षा का वातावरण एवं आमलोगों को प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए अपराधकर्मी अब्दुल हन्नान, पे0–स्व0 एस0के0ताहा, सा0–कुरासुत, वार्ड नं0–03, थाना–अररिया(बैरगाछी), जिला–अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,1981 की धारा–3 अंतर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा की गयी है।

उक्त के आलोक में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.09.2020 द्वारा आरोपी/अपराधकर्मी अब्दुल हन्नान को अपना पक्ष रखने हेतु एवं आरोपों के संबंध में कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गयी। विपक्षी–अब्दुल हन्नान की ओर से कारण–पृच्छा जवाब दाखिल किया गया। न्यायालय में उपस्थित विपक्षी–अब्दुल हन्नान को सुना।

विपक्षी का मुख्य कथन है कि विपक्षी समाज में सौहादपूर्ण तरीके से विधि व्यवस्था को मानकर एवं कानून का अनुपालन करते हुए जीवन यापन करने वाला भारतीय नागरिक है। उपरोक्त वाद में निर्गत नोटिस ज्ञापांक 2005/विधि, दिनांक 29.09.2020 में उल्लिेखित मुकदमा अररिया(बैरगाछी) थाना कांड सं0–279/2016 एवं 280/2016 पंचायत चुनाव, 2016 में दो प्रत्याशी के समर्थकों के बीच वर्चस्व को लेकर गैर इरादतन नोक–झोंक एवं मामूली झगड़ा के तहत सरकार के द्वारा दर्ज किया गया, जिसमें विपक्षी अभियुक्त है। इस केस में विपक्षी पर चार्जशीट लंबित है। उक्त कांड में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विपक्षी की संलिप्तता नहीं है। परन्तु न जाने कैसे उक्त दोनों प्राथमिकी में विपक्षी को नामजद कर दिया गया। विपक्षी बिल्कुल निर्दोष है। उपरोक्त प्रावधानित अधिनियम के तहत विपक्षी असामाजिक तत्व नहीं हैं और न ही सम्पूर्ण थाना क्षेत्र में अशान्ति एवं आम नागरिकों के बीच भय का कोई माहौल व्याप्त है। अररिया (बैरगाछी ओ0पी0) में दर्ज सन्हा सं0–290/2020 एवं सन्हा सं0–642/2020 विपक्षी के विरूद्ध किस परिस्थिति में दर्ज की गई है इसकी कोई जानकारी विपक्षी को नहीं है। सामाजिक सरोकार से जुड़े एवं जनहित के विभिन्न कार्यो में बतौर समाजसेवी कानून के दायरे में विपक्षी समय–समय पर योगदान देता रहा है। विपक्षी हमेशा सकारात्मक रूप से कानून की मदद करने के लिए तत्पर है। उनकी प्रार्थना है कि उक्त कारण–पृच्छा को स्वीकृत कर तथ्यों को संज्ञान में लेकर बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की

धारा-3(3) के अन्तर्गत विपक्षी के पक्ष में अनुकुल आदेश पारित करते हुए विपक्षी को कारण-पृच्छा एवं वाद से मुक्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी के कथनों एवं तर्कों तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त तथा उपरोक्त घटनाओं के विवेचनोपरांत आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं प्रशांत कुमार सी0एच0, जिला दण्डाधिकारी,अररिया संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-2(डी)(i) के अन्तर्गत ये **"असामाजिक तत्व"** हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं, जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान-1860 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। जिस कारण बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 के तहत निरुद्धादेश जारी करते हुए आदेश देता हूँ कि **अब्दुल हन्नान दिनांक-06.10.2020 के पूर्वाह्न से दिनांक 07.11.2020 के पूर्वाह्न तक सप्ताह में दो दिन (मंगलवार तथा शनिवार) अररिया थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे** तथा **थानाध्यक्ष, अररिया** के समक्ष अपना बंधपत्र इस आशय का निषादित करना सुनिश्चित करेंगे कि बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020 के अवसर पर उनके द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी/अशांति नहीं फैलायी जायेगी एवं न हीं किसी भी मतदाता को दुष्प्रेरित करने का प्रयास किया जायेगा।

उक्त आदेश का संबंधित थानाध्यक्ष अपने स्तर से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित अपराधकर्मी के गतिविधि पर कड़ी नजर रखेंगे। साथ ही अपराधकर्मी की उपस्थिति संबंधी सूचना प्रत्येक उपस्थिति के पश्चात पुलिस अधीक्षक,अररिया एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी,अररिया को भी आम जनता में प्रचार प्रचार हेतु भेजें एवं एक प्रति जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,अररिया को जिला के बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित,

जिला दण्डाधिकारी,
अररिया

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2086 / विधि, दिनांक 7-10-2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित थानाध्यक्षों को आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से निदेश देने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से जनता में प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : ओ0पी0 अध्यक्ष, बैरगाछी एवं थानाध्यक्ष, अररिया थाना को अनुपालन हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2086 / विधि, दिनांक 7-10-2020

प्रतिलिपि : श्री अब्दुल हन्नान, पे0-स्व0 एस0के0ताहा, सा0-फरासुत, वार्ड नं0-03, थाना-अररिया(बैरगाछी), जिला-अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया।